"विजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 185] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 जुलाई 2002—श्रावण 2, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-66/2002/वाक/पांच (85).—चूंकि राज्य शासन के विचार से छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर नियम, 1995 में संशोधन करना एवं तत्काल प्रवृत्त करना आवश्यक है;

अतएव, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 80 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कथित नियम में राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :—

संशोधन

उक्त कथित नियम में नियम 42 के उपनियम (2) में शब्दों "कटौती की जाने की तारीख से दस दिन के भीतर" के स्थान पर शब्दों "अगले माह के दसवें दिन तक" को प्रतिस्थापित किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जुलाई 2002

क्रमांक एफ-10-66/2002/वाक/पांच (85).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ -10-66/2002/वाक/पांच (85), दिनांक 24-7-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 24th July 2002

NOTIFICATION

No. F-10-66/2002/CT /V(85).—Whereas, the State Government considers that the following amendment in the Chhattisgarh Commercial Tax Rules, 1995 should be made and brought in to force at once;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 80 of the Chhattisgarh Commercial Tax Act, 1994 (No. 5 of 1995) the State Government hereby makes the following further amendment in the said rules, namely :—

AMENDMENT

In the said rules in sub-rule (2) of rule 42 for words "within ten days from the date of deduction", the words "by tenth day of the following month" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.